न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 42 / 2022

पार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पुष्पादेवी पत्नी भेरदास जाति साद निवासी तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 मदनसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी तांतवास ग्राम पंचायत तांतवास तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत तांतवास जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत तांतवास पंचायत समिति नागौर हाल खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति–

1 श्री अशोक वैष्णव अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 30.09.2024

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तातंवास द्वारा पट्टा संख्या 07, बुक नम्बर 11, दिनांक 25.07.2013 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 14.09.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 22.11.2022 को उपस्थित हुआ तथा इसके बाद अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 07 व 22 की फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 22.05.15 की फोटोप्रति, विधानसभा निर्वाचन नामावली 2013 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड उपलब्ध होना नहीं बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पट्टा जैर निगरानी विधि व तथ्यों के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(2)– पट्टा जैर निगरानी पंचायत एक्ट एवं पचांयत राज नियम 1996 के कायदों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(3)– आबादी भूमि जिसमें मकान बना हुआ नहीं है, का अंतरण नीलामी के जरिये किये जाने का राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 का नियम 143 के अनुसार किया जाता है।

2(4)– आबादी भूमि जिसमें आंवटी के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थान नहीं है तथा पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा किया हुआ हो तथा उस पर कब्जा से घर बना हुआ हो तो ही ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क पर पट्टा जारी हो सकता है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 का नियम 157 में पुराने गृह का विनियमितिकरण होना होता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 मदनसिंह के ग्राम तांतवास में अच्छे खासे मकान व जमीन तथा बाडे स्थित है तथा वक्त पट्टा जारी के समय अप्रार्थी संख्या 1 मदनसिंह की धर्मपत्नि निर्मल कवंर सरपंच के पद पर आसीन थी। सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए अपने पति के नाम पर गलत पट्टा जारी किया है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

2(5)– कमजोर वर्गों के लिए आबादी भूमि आंवटन करने का भी राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 में प्रावधान है जिसमें अधिकतम 150 वर्गगज तक ही भूमि आवाप्ति की जा सकती है। परन्तु पटटा जैर निगरानी जारी करने में ऐसा कोई राशि क्रेता/आवंटी से प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी दशा में पट्टा जैर निगरानी विधिविरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)–निःशुल्क पट्टा आवंटन का अधिकार मात्र राज्य सरकार में निहित करता है वो भी कुछ श्रेणी के लोगों को निशुल्क आवंटन का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के पास निःशुल्क आवंटन या पट्टा के जरिये अंतरण का अधिकार पंचायत एक्ट या पंचायत नियमों में नहीं है। ऐसी दशा में पट्टा जैर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

30/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(7)– ग्राम पंचायत सरपंच अपने नाम या अपने पति बच्चों या परिवार वालों के नाम पद का दुरूपयोग करते हुए आबादी क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार का आवंटन या पट्टा जारी हीं कर सकती है फिर भी उक्त निगरानी में जारी पट्टा सरपंच ने अपने पति के नाम निशुल्क पट्टा 300 वर्गगज का जारी किया है। ऐसी दशा में पट्टा जैर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से विधिविरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(8)– आबादी भूमि का विक्रय या आवंटन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद ही भूमि का आवंटन या पट्टा नियमों के अनुसार नीलामी/रियासती दर से दिया जाना वांछित होता है। पट्टा जैर निगरानी के बाबत् पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया न ही मौका देखने की रिपोर्ट है और न ही मौका रिपोर्ट देखने के बाद पंचायत द्वारा वादग्रस्त पटटे वाली भूमि विक्रय या आवंटन करने बाबत् कोई प्रस्ताव या स्वीकृति भी नहीं है। ऐसी दशा में जैर निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की तारीफ में नहीं है कागजी व फर्जी मात्र सरपंच के पद का दुरूपयोग करते जुए जारी किया गया ह जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(9)–पट्टा जैर निगरानी के जरिये भूमि पट्टाधारी को दी गई है वह भूमि पूर्व में प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2004 में ग्राम पंचायत तांतवास द्वारा दिनांक 01.12.2004 को प्रार्थिया पुष्पा देवी को पट्टा दिया गया है। प्रार्थिया के पट्टासुद जायगा को सम्मिलित करते हुए वर्तमान सरपंच ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने पति मदनसिंह के नाम गलत पट्टा जारी किया गया है जो विधिविरूद्व होने से काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत तातवास के पट्टा संख्या 07, बुक नम्बर 11, दिनांक 25.07.2013, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत तांतवास से मूल रेकर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प.ता./2022/62 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तांतवास द्वारा जारी पट्टा संख्या 07, दिनांक 25.07.2013, निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर